JALAUN POLICE

दिनांक – 19.09.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 02 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– वादी द्वारा थाना कदौरा में तहरीरी सूचना दी गयी कि आरोपी दशरथ पुत्र हरिकिशन नि0ग्राम नयारामनगर अजनारी रोड कोतवाली उरई जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना। जिसके संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 21.02.2022 को थाना कदौरा पर मु0अ0सं0 18/22 (वाद संख्या 41/22) धारा- 363/366/376 भादवि व ¾ पॉस्को एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना कदौरा पुलिस द्वारा दिनांक 26.02.2022 को आरोपी दशरथ उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 13.05.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 19.09.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त दशरथ उपरोक्त को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 65,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण द्वितीय– वादी द्वारा थाना कदौरा पुलिस को सूचना दी गयी कि अभियुक्त जयवीर पुत्र छुब्बलाल नि0ग्राम रमऊपुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा वादी के सूटकेस को खोलकर रखे रुपये व जेवरात चोरी कर लिया गया था जिसके सम्बन्ध में दिनांक 22.12.2023 को थाना कदौरा में मु0अ0सं0 288/23 (वाद संख्या 110/25) धारा 379 भादवि पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 19.09.2025 को मा0 न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कालपी जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त जयवीर उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि का समयोजन सहित 06 माह का कारावास एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।